



श्री अशोक गहलोत  
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शांति धारीवाल  
मंत्री, स्वायत्त शासन,  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  
राजस्थान सरकार

# राजस्थान आवासन मण्डल

“स्टूडियो अपार्टमेंट (S+10)”

सेक्टर-8, हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना वर्ष-2021

RERA Reg. No. : -----  
RERA Address : 2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,  
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005  
RERA Website : <http://rera.rajasthan.gov.in/>

आवेदन | 01.09.2021 से  
अवधि | 30.09.2021 तक



‘मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना’



## आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



# राजस्थान आवासन मण्डल

## स्ववित्त पोषित योजना-2021

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गतसेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में

बहुमंजिलेSTUDIO APARTMENT(S+10) हेतु

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

### कार्यक्रम

1. ऑनलाईन आवेदन-पत्र उपलब्ध : 01.09.2021 से
2. ऑनलाईनआवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 30.09.2021तक
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

### सम्पर्क सूत्र

|                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आवासीय अभियन्ता, खण्ड-पंचम,<br>राजस्थान आवासन मण्डल,<br>सेक्टर 29, प्रताप नगर,<br>सांगानेर, जयपुर<br>फोन : 0141-2973848 | उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम<br>राजस्थान आवासन मण्डल,<br>सेक्टर-5,<br>प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर<br>फोन : 0141 - 2791320 | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम<br>राजस्थान आवासन मण्डल,<br>जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर<br>फोन : 0141 - 2741950 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### विशेष

1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर ऑनलाईन भरे जायेगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रुपये 354/- पंजीकृत राशि में सम्मिलित कर सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माफत जमा करवाया जा सकता है या चालान प्रिन्ट कर **ICICI बैंक** के खाता संख्या**777705678236** आई.एफ.एस.सी. कोड**ICIC0006786** में किसी भी **ICICI बैंक**से जमा करवा सकते है।



## ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:

यह सुनिश्चित करलें कि :-

1. आवेदन हेतु पंजीकरण की निर्धारित पूर्ण राशि एक बार में ही Online आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।

आवेदन पत्र के साथ Online स्कैन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है:-

- i. आय का प्रमाण पत्र।
- ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
- iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
- iv. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
- v. कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।







# राजस्थान आवासन मण्डल

## स्ववित्त पोषित योजना-2021

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में  
बहुमंजिले STUDIO APARTMENT(S+10) हेतु

### योजना की प्रस्तावना:-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम - 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

### बहुमंजिले STUDIO APARTMENT(S+10) "स्ववित्त पोषित योजना-2021" का विवरण

जयपुर शहर की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल ने समय-समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं की सफलता के बाद हल्दीघाटी मार्ग, सेक्टर 8, प्रताप नगर में बहुमंजिले STUDIO APARTMENT(S+10) योजना का नियोजना किया गया है। इस समूह आवासीय योजना के भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल 3624.00 वर्गमीटर है। इस योजना में कुल 270 फ्लैटों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु "स्ववित्त पोषित योजना-2021" के अन्तर्गत पंजीकरण आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

## तालिका -1

बहुमंजिले (S+10) स्टूडियो अपार्टमेंट की संख्या एवं अनुमानित लागत :-

| क्र. सं. | आय वर्ग                 | अनुमानित संख्या | निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) |                    | अनुमानित लागत (रु. लाख में) |
|----------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|          |                         |                 | Builtup Area                     | Super Builtup Area |                             |
| 1.       | Studio Apartment (S+10) | 270             | 316.00                           | 415.00             | 8.97                        |

नोट : (i) फ्लैटों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) उक्त तालिका में फ्लैटों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। चूकिमण्डल आवासो/फ्लेट्स का आवंटन "बिना लाभ बिना हानि सिद्धांत" के आधार पर करता है। अतःमण्डल द्वारा फ्लैटआवंटन के समय की अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटी का कोई आक्षेप / विवाद मान्य नहीं होगा।

(iii) सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे लिफ्ट, जीना (स्टेयरकेस), खुले स्थान, कम्पाउण्ड वाल, सड़क पानी, बिजली के खर्चे, स्ट्रीट लाइट, रेन-वाटर हार्वेस्टिंग, सुरक्षा गार्ड एवं अन्य विविध खर्चों हेतु प्रत्येक आवंटियों से तीन वर्ष में होने वाले अनुमानित खर्चों की एकमुश्त राशि को आवंटन पत्र में उल्लेखित कर, पृथक से रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के खाते में जमा कराया जायेगा। उक्त राशि का डी.डी. खण्ड कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त ही फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। रख-रखाव हेतु गठित सोसायटी का प्रारंभिक रूप से आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष होगा एवं कम से कम सात कब्जा प्राप्त करने वाले आवंटी कार्यकारिणी के सदस्य आवासीय अभियन्ता द्वारा मीटिंग बुलाकर मनोनीत किए जायेंगे। संबंधित आवासीय अभियन्ता कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारासोसायटी का एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा। संभावित 6 माह के रख-रखाव के खर्च के बराबर राशि खाते में रखते हुए शेष राशि का एक वर्ष के लिए एफ.डी.आर.बनवाई जाएगी। आवासीय अभियन्ता द्वारा इस मद में प्राप्त राशि एवं योजना में प्रदत्त सुविधाओं के रख-रखाव पर किए जाने वाले व्यय का उचित एवं पारदर्शी लेखा-जोखा रखा जाएगा।

### आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यहआवासीय योजना प्रताप नगर की मुख्य सड़क हल्दीघाटी मार्ग, सेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :-

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 1. सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र  | 2.0 कि.मी. |
| 2. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 2.5 कि.मी. |
| 3. जगतपुरा रेल्वे स्टेशन      | 3.0 कि.मी. |



4. जवाहर सर्किल
5. टोंक रोड़

- 5.0 कि.मी.
- 0.5 कि.मी.

### पंजीकरण की पात्रता एवं अन्यशर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

1. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में आवास का आवंटन किया जा सकता है।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
- (ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
3. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
5. मण्डल द्वारा आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा :-

आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :-

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:-

तालिका 2

| क्र. सं. | वर्ग  | आवेदक की श्रेणी                                                                                                                                                                                                         | आरक्षण का प्रतिशत                      |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1        | जी-1  | वैतनिक श्रेणी<br>वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)<br>वैतनिक श्रेणी-द्वितीय(राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी) | 18.00 प्रतिशत<br>10.00 प्रतिशत         |
| 2        | जी-2  | अवैतनिक श्रेणी<br>अवैतनिक श्रेणी-प्रथम (G-2-I)- सामान्य<br><br>अवैतनिक श्रेणी-द्वितीय (G-2-II)- प्रोफेशनल श्रेणी (केवल प्राफेशनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राइवेट डॉक्टर्स)                                   | 29.00 प्रतिशत<br>05 प्रतिशत            |
| 3        | जी-3  | राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)                                                                                                                                                                           | 01 प्रतिशत                             |
| 4        | जी-4  | अनुसूचित जाति                                                                                                                                                                                                           | 16 प्रतिशत                             |
| 5        | जी-5  | अनुसूचित जन जाति                                                                                                                                                                                                        | 12 प्रतिशत                             |
| 6        | जी-6  | वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार                                                                                                                                                                    | 1.5 प्रतिशत                            |
| 7        | जी-7  | स्वतंत्रता सैनानी                                                                                                                                                                                                       | 0.5 प्रतिशत                            |
| 8        | जी-8  | भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं                                                                                                                                                                                   | 03 प्रतिशत                             |
| 9        | जी-9  | दिव्यांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)                                                                                                                                                                                       | 01 प्रतिशत<br>01 प्रतिशत<br>01 प्रतिशत |
| 10       | जी-10 | वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी                                                                                                                                                      | 01 प्रतिशत                             |
|          |       | योग                                                                                                                                                                                                                     | 100.00प्रतिशत                          |

- नोट. (अ) श्रेणीवार आरक्षित कोटा निर्धारण हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र अनिवार्य है अन्यथा आवेदक का पंजीकरण अवैतनिक श्रेणी प्रथम में मान लिया जायेगा।  
(ब) यदि उपरोक्त तालिका की क्रम संख्या 1 से 10 में दर्शित वर्ग के आवेदकों के पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अन्य श्रेणी आवेदकों के आवास गैर वेतन भोगी वर्ग (जी2-I) के लिए अन्तरित कर दिये जायेंगे।



(स) आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यदि एक भी आवास उस आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध न होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र को सामान्य श्रेणी अवैतनिक वर्ग के आवेदकों की (जी2-1) में सम्मिलित किया जावेगा।

(द) प्राईवेट सेक्टर में उन्हीं कार्मिकों को शामिल किया जायेगा, जिनकी भविष्य निधि की कटौती उनके संस्थान द्वारा की जाती है तथा संस्थान द्वारा स्थाई वैतनिक होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं कार्मिक द्वारा आयकर विवरणी का ब्यौरा संस्थान/कर विभाग को प्रस्तुत किया जाता है।

6. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ-पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।"
7. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
8. पंजीकरण राशि निम्नानुसार आवेदन पत्र के साथ देय है, जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :-

तालिका -3

| क्र. सं. | आय वर्ग                 | पंजीकरण राशि                | प्रोसेसिंग फीस (रूपये में) | आवेदन शुल्क (रूपये में)  | कुल जमा योग्य राशि (रूपये में) |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.       | Studio Apartment (S+10) | 89700 + 1% GST<br>= 90597/- | 500 + 18% GST<br>= 590/-   | 300 + 18% GST<br>= 354/- | 91541/-                        |

नोट अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौसेना, वायूसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी विरांगनाएं निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं।

9. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस सभी आवेदकों हेतु राशि रुपये 500/- + 18 प्रतिशत, देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।
10. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। परन्तु यदि उपलब्ध फ्लैट से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो असफल आवेदकों की प्रतीक्षा सूची लॉटरी अनुसार रखी जावेगी एवं मूल सफल आवेदकों में से जब भी कोई आवेदक अपात्र होता है अथवा अपना आवंटन रद्द करवा लेता है, तो ऐसी रिक्तता के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन का विकल्प दिया जा सकेगा। असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
11. इस योजना के अन्तर्गत सभी फ्लैटों का निर्माण स्ववित्त पोषित योजना के तहत किया जावेगा। स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकृत आवेदकों से मौके पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर आरक्षण पत्र जारी करते हुए अनुमानित लागत की निम्नानुसार राशि प्राप्त की जायेगी :-

तालिका - 4

| क्र.सं. | आवासों का प्रकार        | किश्त         | आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली राशि |      |
|---------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------|
|         |                         |               | समयावधि                                         | राशि |
| 1       | Studio Apartment (S+10) | प्रथम किश्त   | 1 माह                                           | 15 % |
|         |                         | द्वितीय किश्त | 4 माह                                           | 15 % |
|         |                         | तृतीय किश्त   | 7 माह                                           | 15 % |
|         |                         | चतुर्थ किश्त  | 10 माह                                          | 15 % |
|         |                         | पंचम किश्त    | 13 माह                                          | 10 % |
|         |                         | षष्ठम किश्त   | 16 माह                                          | 10 % |
|         |                         | सप्तम किश्त   | 19 माह                                          | 10 % |

आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी.एस. टी. की राशि अलग से देय होगी।

12. स्ववित्त पोषित आवासीय योजना में सामान्यतः फ्लैटों का आवंटन आवेदकों के द्वारा आरक्षण राशि की समस्त किश्तें जमा होने पर किया जाता है, किन्तु उक्त योजना में



फ्लैटों का निर्माण प्रगति के दृष्टिगत आरक्षण राशि की प्रथम किश्त जमा होने के पश्चात् भी आवासों का आवंटन करने को मण्डल स्वतंत्र होगा।

13. इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट्स का निर्माण कार्य "डिपोजिट कार्य" की तरह से होगा। अतः आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि पर आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् मण्डल द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. आवेदकों को **तालिका-4** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ती/ब्याज देना होगा।
15. **तालिका-4** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये स्ववित्त पोषित योजना का पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा।
16. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को उनकी स्ववित्त पोषित योजना की जमा पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।
17. **रिफण्ड**
  - (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात् तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
  - (iv) इस योजना का आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् यदि आवेदक आरक्षण राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ किश्तें देय होने के बाद जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उस तिथि तक देय राशि (पंजीकरण+आरक्षण राशि) में से 20 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। उदाहरण के लिए यदि

आवेदक द्वितीय आरक्षण राशि देय होने के पश्चात जमा राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, प्रथम आरक्षण राशि तथा द्वितीय आरक्षण राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। आवेदक द्वारा आरक्षण राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में भी कटौती की गणना हेतु देय आरक्षण राशि को सम्मिलित करते हुए ही कटौती की जायेगी।

(v) उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती स्ववित्त पोषित योजना की पंजीकरण राशि तक ही सिमित होगी।

18. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक भवन, लिफ्ट, फायर फायटिंग, रेनवाटर हार्वेटिंगकी रखरखाव/ देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस), खुले स्थानके रख-रखाव एवं सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।

19. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात फ्लेट्स का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

20. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

21. मण्डल निर्मित फ्लेट्स की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

22. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लेट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लेटपूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें फ्लेट की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में फ्लेट की मांग राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा फ्लेट का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।



23. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप फ्लेट के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका फ्लेट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
- (क) **लीज राशि:** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- (ख) **अन्य खर्चे :**
- (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व निर्माण के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) अन्य विविध खर्चे जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
24. मंडल के फ्लेट्स केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। फ्लेट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर फ्लेट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
25. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
26. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि फ्लेट का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा फ्लेट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
27. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, फिटिंग/फिक्चर्स आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा।
28. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लेटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित

सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/प्लेट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

29. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
30. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
31. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
32. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता **website - [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb)** के माध्यम से निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रूपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/-) जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
33. (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात् ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।  
(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट **[www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb)** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।



34. वित्तीय सुविधायें:आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
35. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
36. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत फ्लैट लेना चाहता है।
37. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
38. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।



### महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- iii. लॉटरी से जो भी फ्लैट आवंटित होगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा परन्तु यदि कोई दो अथवा अधिक आवंटी पारस्परिक सहमती से आवंटित फ्लैट की अदला-बदली चाहते हैं तो उसकी सहमती दी जा सकेगी।
- iv. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सैनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. फ्लैट आवंटन/कब्जे के बाद फ्लैट का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जयपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xi. योजना में आवासीय परिसर की सफाई, रख-रखाव एवं संधारण अन्य योजनाओं की भांति रेजीडेन्ट वेल्फेयर सोसायटी द्वारा किया जावेगा।
- xii. आवेदन पत्र पुस्तिका (Booklet) राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर अवलोकन की जा सकती है।



आवेदक का  
फोटो

सभी आवेदकों के लिए

### शपथ पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु.....  
वर्ष, जाति..... निवासी .....  
एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा/रहूंगी।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

### सत्यनिष्ठा

मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री .....  
निवासी ..... सत्यनिष्ठा से घोषणा  
करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी  
जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथ गृहिता  
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा  
हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित  
होना चाहिए)

**गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए**  
**आय प्रमाण-पत्र हेतु शपथ-पत्र**  
(आवश्यक नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

**शपथ-पत्र**

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... आयु.....  
..... जाति ..... निवासी .....  
(अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती हूँ:-

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2020-2021 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार थी-

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से  
..... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग, एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय  
..... रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में मेरे परिवार की कुल आमदनी ..... रुपये थी।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

**सत्यापन**

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... जाति ...  
..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा  
से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है  
तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

**शपथ गृहिता**  
**हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा**

(शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आवेदक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्रोत अथवा उनके स्वामित्व की कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)





वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/  
संस्था (विभाग/संस्था का नाम) ..... में..... पद  
पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के  
उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2020-21की सकल वार्षिक आय  
रुपये .....थी।

क्रमांक/दिनांक .....

विभागाध्यक्ष  
के हस्ताक्षर मय मोहर  
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री ..... निवासी ..... जिला ...  
.....संभाग.....राज्य .....जाति .....के सदस्य हैं जो  
अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित  
जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार  
(कार्यालय की मोहर सहित)

## स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री..... निवासी ..... जिला .....  
स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष ..... में राज्य सरकार द्वारा ताम्र-पत्र/प्रमाण-पत्र  
प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव  
(सामान्य प्रशासन विभाग)  
राजस्थान सरकार, जयपुर

## शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

### प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ..... ने  
वर्ष ..... में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1. ....
2. ....
3. ....

सचिव  
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड



अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....  
जिला ..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम) .....  
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी  
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....  
.....निवासी.....  
सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत हुए दिव्यांग  
सैनिक है।

सचिव  
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना अनिवार्य है।)



राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .....  
..... से सत्र ..... में सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा  
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा, राज्य .....  
..... से सत्र ..... में सदस्य रहे हैं एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव  
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा सचिवालय





# राजस्थान आवासन मण्डल

## स्ववित्त पोषित योजना-2021

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गतसेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में  
बहुमंजिले STUDIO APARTMENT (S+10) हेतु  
आवेदन पत्र

| क्र. सं. | आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु                         |          |  | आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| 1.       | क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?                                                      | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 2.       | क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटों यथास्थान चिपकाया है?                      | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 3.       | क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 4.       | क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?      | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 5.       | क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के अनुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?                         | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 6.       | क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?                                         | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 7.       | क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?                                                       | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 8.       | क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?                                                         | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 9.       | क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?                                                | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 10.      | क्या पंजीकरण राशि जमा है?                                                                      | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 11.      | क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?                                                    | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |
| 12.      | क्या वाछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?                                                  | हाँ/नहीं |  | हाँ/नहीं                                                        |  |

आवेदक के हस्ताक्षर

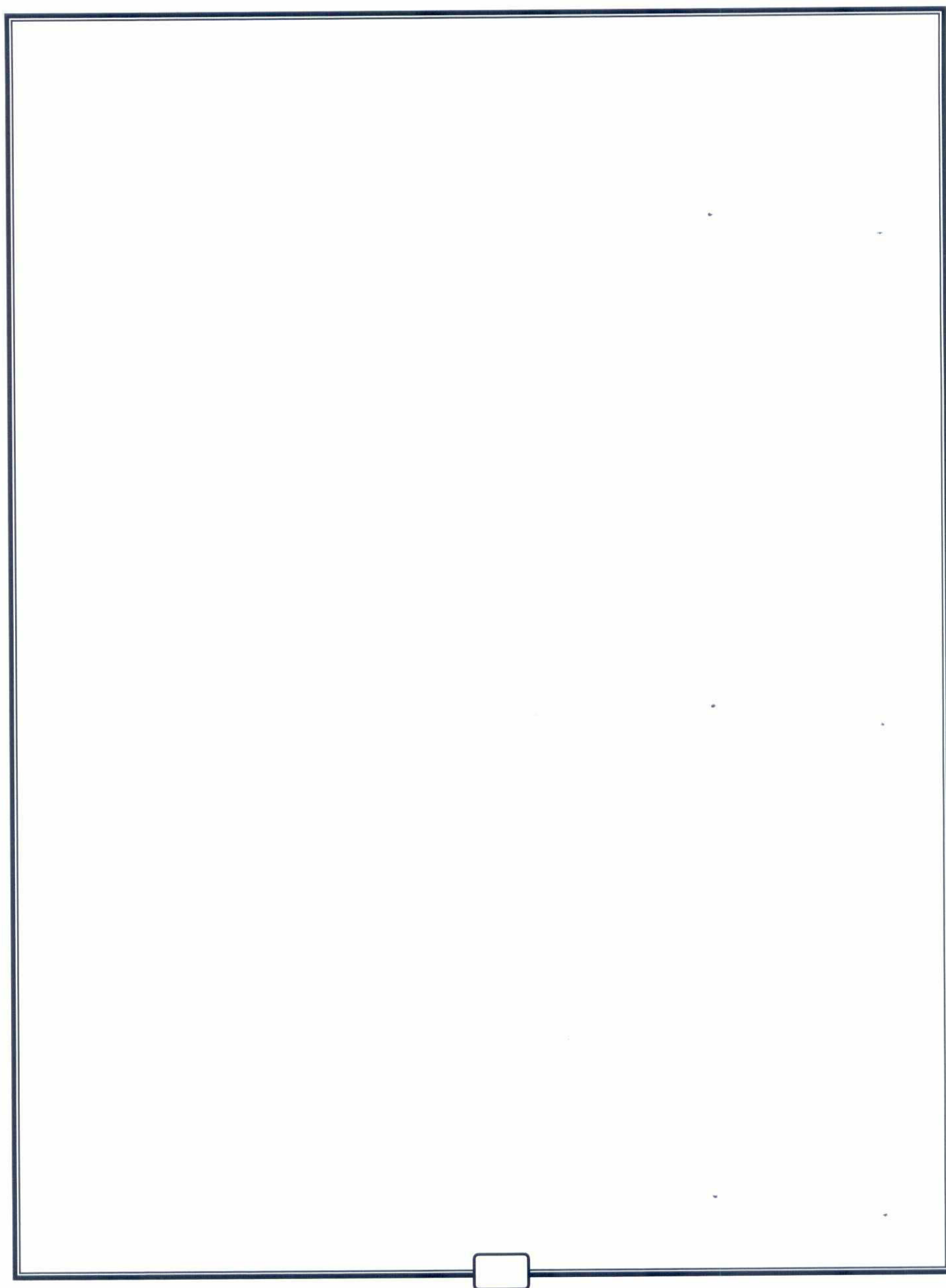
### कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का ग्रुप है -सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/दिव्यांग/पुरस्कृत /पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक

कार्यालय अधीक्षक

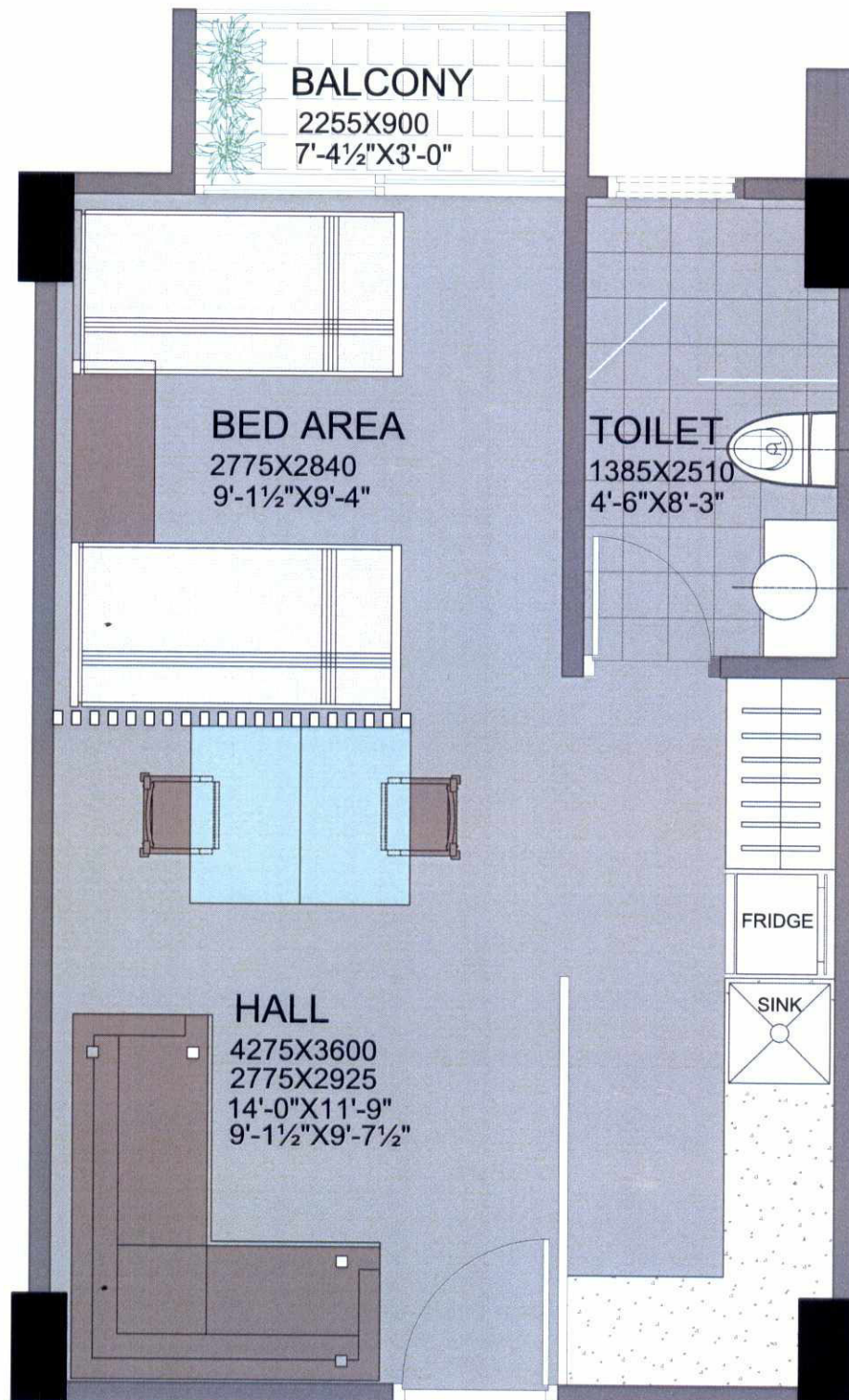
स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक



## GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

- (1) Structure: RCC frame structure
- (2) Walls: Brick masonry walls
- (3) Finishing:
  - (I) Plaster in cement sand mortar 1:4 / 1:6
  - (II) POP
  - (III) Plastic paint on inner surfaces and texture paint on exterior surfaces
  - (iv) UPVC windows
  - (v) Wooden door frames
  - (vi) Flush door shutters with ordinary steel fittings
  - (vii) Wall tiles in toilets
  - (viii) MAT/ Vitrified finished tiles
  - (ix) Granite stone in common area and stairs
  - (x) Granite top kitchen table counter
4. M.S. railing in staircase
5. Sanitary
  - (i) Uropeon W.C.
6. Lift Facility
7. Fire Fighting







# RAJASTHAN HOUSING BOARD PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR

TO JAGATPURA ←

→ TO SITAPURA



PROPOSED SCHEME

TO TONK



हमारी खुशी का संसार  
हमारा अपना घर



**राजस्थान आवासन मण्डल**

‘आवास भवन’ जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर  
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : [dhcjp1.rhb@rajasthan.gov.in](mailto:dhcjp1.rhb@rajasthan.gov.in) | Website : [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb)



## स्ववित्त पोषित योजना-2021

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में  
बहुमंजिले STUDIO APARTMENT (S+10) हेतु

आवेदक / आवेदिका  
का नवीनतम फोटो  
राज पत्रित /  
नोटेरी पब्लिक द्वारा  
प्रमाणित

### आवेदन-पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक .....

|    |                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | आवेदक / आवेदिका का नाम<br>(आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें) | श्री / श्रीमती.....                                                                                                                               |
| 2  | पिता / पति का नाम<br>(आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)                      | श्री.....                                                                                                                                         |
| 3  | जन्म तिथि                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| 4  | राष्ट्रीयता                                                                                             |                                                                                                                                                   |
| 5  | स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज<br>(सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)                                | पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / पासपोर्ट /<br>ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी / टेलीफोन बिल / अन्य<br>फोटो युक्त मान्य दस्तावेज..... |
| 6  | भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.)<br>नम्बर                                                          | .....                                                                                                                                             |
| 7  | व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे<br>(आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नहीं करें)            | वैतनिक<br>(राज्य कर्मचारी)                                                                                                                        |
| 8  | आवेदक का पता<br>(दस्तावेज संलग्न करें)<br>(मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)            | .....<br>दूरभाषनं. .... मोबाईलनं.....<br>ई-मेल पता.....                                                                                           |
| 9  | आवेदक / आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रु. में)<br>(वित्तीय वर्ष 2019-20) पैननम्बर, (लागू हो तो)            |                                                                                                                                                   |
|    | (अ) स्वयं की                                                                                            |                                                                                                                                                   |
|    | (ब) पत्नी / पति की आय                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|    | (स) आश्रितों की आय                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|    | कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 10 | यदि आवेदक पूर्व में पंजीकृत है तो, पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।                 |                                                                                                                                                   |
|    | (क) आय वर्ग, जिसमें पंजीकरण हुआ है।                                                                     |                                                                                                                                                   |
|    | (ख) पंजीकरण का वर्ष                                                                                     |                                                                                                                                                   |
|    | (ग) वरीयता क्रमांक :                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| 11 | पंजीकरण राशि रु. ....                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| 12 | बैंक ड्राफ्ट सं.<br>बैंक का नाम                                                                         | ..... दिनांक..... रु.....                                                                                                                         |

### राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आवेदन-पत्र प्रप्ति रसीद

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सैक्टर-5, प्रताप नगर, जयपुर  
स्ववित्त पोषित योजना-2021 के अन्तर्गत सेक्टर-8, प्रताप नगर, जयपुर में  
बहुमंजिले STUDIO APARTMENT (S+10) हेतु

श्री.....से STUDIO APARTMENT (G+10) हेतु ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन-पत्र का  
प्राप्त किया मय बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... बैंक का नाम..... शाखा.....  
..... ।

कार्यालय की मोहर  
(नोट: उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें।)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता  
नाम व पदनाम की मोहर सहित

| 13      | आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक संलग्न करेगे।:-<br>आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)..... खाता संख्या (सम्पूर्ण).....<br>खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):..... बैंक/शाखा का पता:.....<br>मोबाइल नम्बर.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|-------|--|--|--|---------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 14      | निम्नांकित तालिका में अपनी श्रेणी (✓)ङ्गित करे (प्रमाण पत्र संलग्न करे)<br>1. सामान्य श्रेणी ( )<br>2. अनुसूचित जाति ( )<br>3. अनुसूचित जन जाति ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
| 15      | संलग्नक :<br>(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज<br>(ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचानपत्र नम्बर (यदि हो तो)<br>(स) पते का प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र।<br>(द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका।<br>(य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो)<br>(र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट<br>(ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र<br>(व) अन्य वाछित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
| 16      | घोषणा :-<br>1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।<br>2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उसका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।<br>3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।<br>4. फ्लेट का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् फ्लेट में होने वाली टूटफूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरीहोगी।<br>5. मेरी मृत्यु होने की दशा में, निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:-<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>नाम</th> <th>आयु</th> <th>संबंध</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>द्वितीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>तृतीय</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | नाम   | आयु | संबंध | प्रथम |  |  |  | द्वितीय |  |  |  | तृतीय |  |  |  |
| क्र.सं. | नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आयु     | संबंध |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
| प्रथम   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
| द्वितीय |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |
| तृतीय   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |     |       |       |  |  |  |         |  |  |  |       |  |  |  |

सत्यापित  
 (नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)  
 मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर  
 स्थान.....  
 दिनांक.....